



अतिक्रमण काद करण्डा 26 | 2018-19

मौजा - खैदापुर, खाता नं० 107, दाग नं० 108 किलम-खास्ता

12.12.18

अभिलेख उपस्थापित । संबंधित डल्ला कर्मचारी /
 अंचल अमीन के द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से
 प्राप्त प्रतिवेदन विहित मपत्र में अर्पित किया गया
 है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है । प्रतिवेदन
 का अवलोकन किया । अंचल प्रतिवेदन के अनुसार
 अतिक्रमण भूमि मौजा-खैदापुर, खाता नं० 320, खाता नं०
 107, दाग नं० 108 किलम खास्ता का अतिक्रमण
 खुदीन यादव एवं अन्य 02 (दो) व्यक्तियों के द्वारा
 कर लिया गया है । अतिक्रमणकारी का विस्तृत
 प्रतिवेदन संलग्न है । अतिक्रमण भूमि लोक भूमि
 के श्रेणी में आते है । अतः मौजा - खैदापुर के
 अतिक्रमण कारियों को ही आपाह के अंदर अतिक्रमण
 भूमि का खाली करने हेतु नोटिस निर्गत करें।
 लेखापित


 अंचल


 12.12.18
 अंचल अधिकारी
 जोड़डा

27-12-18

04.01.19

अभिलेख उपस्थापित । मौजा - सैदापुर के क्रमांक 01 से 03 तक के अतिक्रमणकारियों को नोटिस का तागिला प्राप्त हुआ, देखा । अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतक अतिक्रमण भूमि को खाली नहीं किया गया है ।

अतः अतिक्रमण भूमि को खाली कराने हेतु प्रपत्र-11 में नोटिस निर्गत करें । अभिलेख दिनांक 22-01-19 को करें ।
लौरेकापित



अं अठ




अंचल अधिकारी


गौडा शहर

6.6.19.

अभिलेख उपस्थापित / दिनांक 22-01-19 को मौजा सैदापुर अतिक्रमण भूमि खाली करने हेतु प्रपत्र 11 में नोटिस किया, परंतु अतिक्रमणकारियों द्वारा खाली नहीं किया गया है । पुलिस पदाधिकारी / पुलिस बल एवं दंडाधिकारी परिनिपुण करने हेतु दिनांक. 19.6.19 को अनुमण्डल पदाधिकारी गौडा को पत्र लिखें ।

लौरेकापित


अं अठ



अंचल अधिकारी
गौडा

11.6.19

अभिलेख उपस्थापित / दिनांक 11.6.19 को भोजा ऐयपुर
का अतिक्रमिष्ठ भूमि को शाली ^{करीब} से संबंधित राजस्व
उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन लभित किया गया है।
जो संलग्न है

अभिलेख की कार्यवाही तब की जाही है।

लेखापत्र
R.E.

अं अ०

11.6.19

अंचल अधिकारी
गोंडश